



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 10 सितम्बर, 2021

भाद्रपद 19, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1

संख्या 1372/आठ-1-21-17बैठक-2018 टी0सी0-VI

लखनऊ, 10 सितम्बर, 2021

अधिसूचना

प0आ०-291

उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन नियमावली, 2021 के नियम 1 के उपनियम (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल दिनांक 18 अगस्त, 2021 को ऐसा दिनांक नियत करती हैं, जिस दिनांक को पूर्वोक्त नियमावली के उपबन्ध प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।

आज्ञा से,
दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1372/VIII-1-21-17Baithak-2018T.C.-VI, dated September 10, 2021 :

No. 1372/VIII-1-21-17Baithak-2018T.C.-VI

Dated Lucknow, September 10, 2021

IN exercise of the powers conferred under sub-rule (2) of rule 1 of the Uttar Pradesh Regulation of Urban Premises Tenancy Rules, 2021, the Governor is Pleased to appoint the 18th day of August, 2021 as the date on which the provisions of the aforesaid rules shall be deemed to have come into force.

By order,
DEEPAK KUMAR,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 298 राजपत्र-2021-(640)-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।
पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 4 सा० आवास एवं शहरी नियोजन-2021-(641)-500 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।